प्रेस नोट थाना पुवायाँ
जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक : 14.09.2025

"थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमे मे वाँछित 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकथाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमे मे वाँछित 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.12.2024 को मा0 न्यायालय के आदेश अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 आवेदक/वादी कमलदीप शुक्ला पुत्र प्रमोद कुमार उम्र करीब 32 वर्ष निवासी पुवायाँ थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर के साथ धोखाधडी करके वादी को वी0के0 सिंह पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग कालेज बरेली मोड जनपद शाहजहाँपुर मे मैनेजर के पद पर ज्वाईनिंग कराना व विद्यार्थियो के फर्जी एडमिशन करा लेने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 862/24 धारा 420 भादवि बनाम बी0के0 सिंह आदि 05 नफर पंजीकृत कराया था। दौराने विवेचना साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 467/468/471 भादवि की वृद्धि की गयी।

दिनांक 13.09.2025 को थाना पुवायाँ पुलिस टीम को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली की आपके थाने पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त का नामजद अभियुक्त बीके सिंह उर्फ बालकिशोर सिंह ठाकुर पुत्र श्री राम नारायण सिंह पुलिस व न्यायालय से अपने आप को बचाने के लिए कहीं भागने की फिराक में मोहम्मदी मोड पर बने फ्लाईओवर के पास खड़ा हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को मुखबिर द्वारा बताये स्थान मोहम्मदी मोड पर बने फ्लाई ओवर के पास पकड़ लिया पकड़े हुए व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो इस व्यक्ति ने अपना नाम बीके सिंह उर्फ बालकिशोर सिंह ठाकुर पुत्र श्री राम नारायण सिंह उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम रावतपार थाना लार जनपद देवरिया हाल निवासी सेक्टर 5 ई 25/24 वृंदावन कालोनी तेली बाग थाना पीजीआई लखनऊ मो0न0 9532282413 बताया । उसको इसके जुर्म मु0अ0सं0 862/24 धारा 420/467/468/471 भादवि से अवगत कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर समय 18.10 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बी.के. सिहं उर्फ बाल किशोर सिंह ठाकुर पुत्र श्री राम नारायण सिंह ठाकुर निवासी ग्राम रावत पार थाना लार जिला देवरिया उम्र 42 वर्ष हाल पता सेक्टर 5ई 25/24 वृन्दावन कॉलोनी, तेलीबाग, थाना पीजीआई लखनऊ

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारीः-

1. मु0अ0सं0 862/24 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

दिनांक 13.09.2025 समय करीब 18.10 बजे हम्मदी मोड पर बने फ्लाईओवर के पास

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. व0उ0नि0 श्री राकेश सिंह थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 2485 तरुण कुमार थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर